

लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं डॉ० राममनोहर लोहिया तकनीक एवं साधन : एक अध्ययन



डॉ० सुजीत कुमार तिवारी
एम.ए., पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

किसी भी राजनीति चिंतक या विचारक द्वारा अपनी मान्यताओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उन पद्धतियों का उल्लेख किया जाता है जिससे उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके। इसके अभाव में उस विचारक के विचारों को स्वप्नलोकीय माना जाता है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जयप्रकाश नारायण या जयप्रकाश) एवं डॉ० राममनोहर लोहिया स्वप्नलोकीय विचारक नहीं थे। उन्होंने अपनी समाजवादी मान्यताओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों अथवा पद्धतियों का उल्लेख किया। इस प्रकार वे भावी भारतीय समाजवादी संरचना की अपनी मान्यताओं को कार्यरूप में परिणत करने की दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं।

समाजवाद के सिद्धांत एवं उसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं एवं साधनों का आधुनिक युग के सभी समाजवादी चिंतकों पर प्रभाव पड़ा। रूस में वोलशेविक क्रांति (1917) की सफलता ने मार्क्स द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लायी गई पद्धतियों की उपादेयता ने स्पष्ट कर दिया कि उन पद्धतियों को उपयोग में लाकर ही समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्वाभाविक तौर पर मार्क्सवादी पद्धतियों का प्रभाव विश्वभर के चिंतकों पर पड़ा। लेकिन इन दोनों ही भारतीय चिंतकों ने मार्क्सवादी पद्धतियों को भारतीय परिवेश में उपयुक्त नहीं माना और लगभग उसका परित्याग कर दिया। संभवतः इसका प्रमुख कारण भारतीय सांस्कृतिक विरासत एवं महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव उनपर माना जा सकता है। दूसरे भारत अथवा अन्य एशियाई राज्यों की पृष्ठभूमि यूरोप के राज्यों

से भिन्न थी, जिसमें मार्क्स ने अपने सिद्धांतों एवं तकनीकों का विश्लेषण किया था। अतः भारतीय पृष्ठभूमि में जयप्रकाश नारायण एवं डॉ० लोहिया ने गांधीवादी तकनीकों को ही अपनाया। इन दोनों ही भारतीय चिंतकों ने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण गांधीवादी तकनीकों को ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बनाया। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस प्रकार उनके द्वारा अहिंसक साधनों को अपनाया गया जो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसक तकनीकों से बिल्कुल ही भिन्न था। सोवियत संघ में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसक साधनों का उपयोग किया गया था। इसीका प्रयोग वहां 1917 ई० में वोलशेविक क्रांति के क्रम में भी किया गया था। इन्हीं तकनीकों को अपनाकर उनके द्वारा समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति का भी प्रयास जारी था। इस प्रकार वहां समाजवाद की प्राप्ति के तकनीक के रूप में हिंसा और बल प्रयोग को अपनाया गया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण एवं डॉ० लोहिया ने भारत में समाजवाद के उच्च आदर्श की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक तौर पर अहिंसक साधनों या तकनीकों को अपनाने पर बल दिया। इसी प्रकार उन्होंने समाजवाद के उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए नैतिक साधनों के उपयोग पर बल दिया जो महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं के आधार पर आधारित था। वे महात्मा गांधी की ही तरह साध्य और साधन की पवित्रता के पक्षधर थे। इसी प्रकार वे इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि यूरोपीय राज्यों का आर्थिक विकास का मूल आधार आधुनिक तकनीक एवं पूंजीवादी व्यवस्था थीं। इसी पृष्ठभूमि में मार्क्स ने क्रांति की सफलता के लिए सर्वहारावर्ग में अपना विश्वास व्यक्त किया था। लेकिन भारत एशिया महादेश का एक राज्य था।

भारत या एशिया के अन्य राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। यहां की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। अतः भारत में समाजवादी आंदोलन की सफलता किसानों की एकजुटता पर ही निर्भर करेगी, यह उनकी मान्यता थी। यही कारण था कि इन दोनों ही विचारकों ने कृषि से संबंधित समस्याओं एवं किसानों की समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने किसानों को एकजुटकर ही अपने समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया। दूसरे वे

इस बात पर भी सहमत थे कि भारत में समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक ढंग से ही संभव है।

जयप्रकाश नारायण एवं लोहिया ने इसी पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित तकनीक को न सिर्फ अहमियत प्रदान की बल्कि उसे ही अपनाया। डॉ० लोहिया ने तो स्पष्ट रूप में लिखा भी है 'समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांधीवादी क्रियाओं का अनुपालन उसी प्रकार लाभदायक होगा जिस प्रकार किसी छन्ना से छानने के बाद किसी पदार्थ की गंदगी दूर हो जाती है और शुद्ध पदार्थ बाहर निकल जाता है।

समाजवाद के संदर्भ में एवं उसकी उपादेयता के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए डॉ० लोहिया ने स्पष्ट किया कि आधुनिक काल में व्यक्ति संघ अथवा संगठन के लिए पूर्णतः अधीन हो गया है। उसका जीवन एकांकी बन गया है। यही एकाकीपन यूरोप में औद्योगिक सभ्यता के विकास के कारण अत्याधिक तीव्र बन गया है। यद्यपि यह भी सच है कि पश्चिमी यूरोप में शोषण, उत्पीड़न एवं अन्याय के प्रतिरोध की दीर्घकालीन परंपरा रही है, लेकिन इस प्रकार का प्रतिरोध सिर्फ संघों के द्वारा हिंसक साधनों का उपयोग कर ही किया जाता रहा है। इस प्रकार एकाकी व्यक्ति पूर्णतः नीरह बन गया है। जबकि महात्मा गांधी ने यह दिखला दिया कि अकेले भी व्यक्ति बिना अस्त्र-शस्त्र के उपयोग के भी शोषण, उत्पीड़न या अन्याय का प्रतिकार अहिंसक ढंग से कर सकता है। महात्मा गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च लक्ष्य या आदर्श की प्राप्ति के लिए साधन भी उसके अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वे साध्य की पवित्रता के समान ही साधन को भी पवित्र होना चाहिए ऐसा मानते थे। इसी पृष्ठभूमि में डॉ० लोहिया ने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सविनय अवज्ञा को एक प्रभावशाली तकनीक के रूप में उपयोग करने की बात कही है लोहिया ने स्पष्ट किया कि शोषण, अन्याय या उत्पीड़न के प्रतिरोध के दो ही उपाय विश्व में (महात्मा गांधी के विचारों से पूर्व) उपयोग में थे - संगठित विद्रोह या क्रांति और संसदीय कानून। जबकि महात्मा गांधी ने इस विश्व के समक्ष अन्याय के प्रतिकार का एक तीसरा साधन भी उपस्थित किया और यह साधन था सविनय अवज्ञा का। लोहिया ने भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसे ही अपनाने पर

बल दिया। उनके अनुसार यह आम लोगों के हाथों एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग वे अकेले भी करके समाज या राज्य में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। यह अस्त्र सशस्त्र विद्रोह या संसदीय कानून से अधिक प्रभावशाली हैं। महात्मा गांधी के इसी तकनीक को डॉ० लोहिया ने भी अपने समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाया। जयप्रकाश नारायण भी भारतीय पृष्ठभूमि में एवं भारतीय परिवेश में समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांधीवादी तकनीकों को अपनाने के पक्ष में थे। इतना ही नहीं उन्होंने भी साध्य की पवित्रता को साधन की पवित्रता के साथ सम्बद्ध किया। इतना ही नहीं ये दोनों ही विचारक हर स्थिति में अहिंसक तकनीकों को अपनाने के पक्ष में थे। उनके अनुसार यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में कोई अहिंसक तकनीक सफल नहीं हो पाता है तो इसके स्थान पर हिंसक तकनीक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बल्कि वे मानते हैं कि एक अहिंसक तकनीक का उपयोग उस समय तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है। इस प्रकार समाजवादी साध्य की प्राप्ति के लिये ये विद्वान अहिंसक पद्धतियों का उपयोग किए जाने के पक्ष में थे।

वर्ग संघर्ष:

डॉ० राम मनोहर लोहिया समाजवाद की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं। वे यह मानते हैं कि वर्ग संघर्ष की उपादेयता स्वतंत्र भारत में तबतक कायम रहेगी जबतक समाज में अन्याय, अत्याचार शोषण या उत्पीड़न कायम है। इस प्रकार उन्होंने वर्ग संघर्ष की उपादेयता को स्वतंत्र भारत में भी स्वीकार किया। वे मानते हैं कि आम जनता इसका उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में न्याय की प्राप्ति के लिए करती रहेगी। इस प्रकार उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष की मान्यता को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने इस दृष्टि से समाज को दो वर्गों में विभाजित किया प्रथम, लोहिया ने वैसे लोगों को जो वर्ग संघर्ष के समर्थक थे, अच्छे लोगों की श्रेणी में किया है। जो लोग इसका विरोध करते हैं लोहिया ने उन्हें बुरे लोगों की संज्ञा दी है। वे यह मानते हैं कि बिना वर्ग संघर्ष के समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है लेकिन, वर्ग संघर्ष के साधन के रूप में उन्होंने सविनय अवज्ञा अथवा सत्याग्रह

के उपयोग की बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जबतक अन्याय के विरुद्ध एशियाई राज्यों में अहिंसक वर्ग संघर्ष का सहारा नहीं लिया जायेगा तबतक समाज से नफरत या कटुता की आग को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

महात्मा गांधी के समान ही लोहिया सत्याग्रह को मात्र एक राजनैतिक अस्त्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार इस अस्त्र-शस्त्र का उपयोग व्यक्ति दिन-प्रतिदिन के जीवन में भी कर सकता है। उनके अनुसार यह एक मानसिक अनुशासन है जिसका अनुपालन पुरुषों अथवा महिलाओं के द्वारा अत्याचार एवं अन्याय के विरुद्ध किया जा सकता है। लोहिया एक सच्चे गांधीवादी थे। वे मानते थे कि यदि सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा का उपयोग पहली दफा में सफल नहीं होता है तो भी भविष्य में इसी अस्त्र का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने इसका परित्याग कर हिंसक आंदोलन को अपनाने की बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महात्मा गांधी के अस्त्रों में 'घेराव' को अपने तरफ से जोड़ा।

जाति एवं वर्ग संघर्ष:-

इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि लोहिया ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा के आधार पर भारत में वर्तमान जाति प्रथा के आधार को स्पष्ट किया। लोहिया के अनुसार मानव के विकास में एक प्रमुख कारक, जाति-प्रथा (वर्ण व्यवस्था) रहा है। उनके अनुसार समाज में वर्ण व्यवस्था परिवर्तन की दौर से गुजरता रहा है। 'जाति और वर्ग के मध्य इस प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए उन्होंने माना है कि 'वर्ग' गतिशील जाति है और जाति गतिहीन वर्ग है।'⁸ मैकाइवर की इस मान्यता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज निरंतर संघर्ष एवं परिवर्तन के दौर से गुजरता रहता है। वर्ग जब जाति के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो एक निश्चित बिन्दु पर जाकर जाति में गतिहीनता आ जाती है। इसी मौलिक मान्यता के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत में जाति-प्रथा का प्रादुर्भाव आर्यों के आगमन के साथ हुआ। वे अपने को यहां के मूल-निवासियों (अनार्यों) से श्रेष्ठ मानते थे। सोचने के तरीके के आधार पर समाज ब्राह्मण क्षत्रीय एवं वैश्य में विभक्त हो गया। ये तीनों जातियाँ क्रमशः

पुरोहितों, प्रशासकों एवं प्रशासकों का प्रतिनिधित्व करने लगीं। आर्यों ने अनेकों अनार्यों को अपना सेवक नियुक्त कर लिया और उन्हें शूद्रों की श्रेणी में रखा। कालान्तर में ये जातियां उप जातियों में विभक्त हो गईं। कालान्तर में ये जातियां सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उनके आय का प्रतीक बन गईं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि भारतीय जाति व्यवस्था धर्म एवं मिथक आधार पर आधारित राजनीतिक प्रकृति रखती हैं। लोहिया स्वामी विवेकानन्द के इस विचार से सहमत थे कि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां जाति प्रथा का अस्तित्व नहीं हो।

सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जातिय गुण धीरे-धीरे भारत में वंशानुगत बन गया। उनके अनुसार जाति-प्रथा ने देश में एक सत्ताधारी वर्ग को विकसित किया। निम्न जाति के लोग इतने अधिक उदास हैं कि उन्हें अपने वास्तविक पद स्थिति एवं समानता का भी बोध नहीं है। अतः वे हर स्थिति में जाति प्रथा का उन्मूलन चाहते हैं। इसके विरुद्ध वे संघर्ष प्रारंभ करने का आह्वाव करते हैं। एक समाजवादी विचारक के रूप में वे एक जाति-विहीन और वर्ग-विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं।

लोहिया जाति-प्रथा का मात्र सामाजिक बुराई ही नहीं एक राजनीतिक दबाव मानते हैं। यह आज इस बिन्दु पर पहुंच चुका है जहां जातिय आधार पर लोग एक दूसरे को अनुचित लाभ प्रदान करते हैं। यह भावना सामाजिक एकता एवं सदभावना के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। यह देश की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करती है। वे मानते हैं कि भारत में पिछड़ी जातियों की संख्या 90 प्रतिशत है। जबकि देश के 90 प्रतिशत उद्योग, सरकारी कर्मचारी, शामिल करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. विवेकानन्द, कास्ट, कल्चर एण्ड सोशलिज्म (अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 1975), पृ0-9 ।
2. राम मनोहर लोहिया, द कास्ट सिस्टम (नवहिन्द प्रकाशन, बम्बई, 1961), पृ0-810-91 ।
3. वही पृष्ठ।
4. आर0 एम0 मैकाइवर, सोसाईटी, (मैकमिलन प्रकाशन, न्यायॉर्क 1949) पृ0-171-72 ।
5. लोहिया, आस्पेक्ट्स ऑफ सोसलिज्म, पृ0 30, पृ0-17-18 ।
6. राम मनोहर लोहिया, ऑस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी (सोशलिस्ट पार्टी, बम्बई, 1952), पृ0-15 ।